फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

रामदेव बनाम **ओमसिह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 108 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
07.06.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकाड़ का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 158/159 की कुल 5.490हैक भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज है कि रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.07.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
6/7/22	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई। सायल/सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पक्षकारान के राजीनामा होने से वाद नहीं चलाना चाहता खारिज फरमावें। सायल हाजिर व हस्ब अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	रामदेव पहचानकर्ता रविन्द्र गोदारा एडवोकेट